तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज लक्ष्मी **बनाम** लो.सू.अ. (तहसीलदार बाप) सू.अ.अ. अपील संख्या 55 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थीया लक्ष्मी पत्नी गोविन्दराम विश्नोइ, पता मिठडिया तहसील बज्जू जिला बीकानेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.01..20 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव सारणपुर पटवार मण्डल सूरपुरा में विरासत इन्तकाल 163 दिनांक 05.01.18 को किस साक्ष्य / प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बाप) से जरिये पत्रांक 1267 दिनांक 22.04.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी लक्ष्मी को ग्राम सारणपुर के विरासत नामान्तरकरण की प्रतिलिपि इस कार्यालय के पत्रांक / भू.अ. / 2020 / 521 दिनांक 12.02.20 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि दस्तावेज रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है जिसकी सूचना पटवारी हलका द्वारा प्रार्थीया के पति गोविन्दराम को सूचित कर दिया गया। रिपोर्ट में आगे कहा कि प्रार्थीया को पुनः नामान्तरकरण व दस्तावेज की प्रति उसके डाक पते पर जरिये पत्रांक 1266 दिनांक 22.04.2020 को भेजी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) की रिपोर्ट क अनुसार प्रार्थीया को जरिये डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	